SHORT DURATION DISCUSSION

The Government's decision to implement the Mandal Commission report—Contd.

उपसभापति : क्या कोई बोलना चाहता है?

Mr. Bhattacharjee, do you want to speak or do you want to say anything now?

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): I have suppressed my sorrow. The Minister also is not here. What can I say?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have called the Minister and he is in the Chamber. He has been waiting for the whole day, but we could not take it up.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Let the House be adjourned *sine die* and reconvened after three days!

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right. But why don't you speak now? Mr. Arif Mohd. Khan is here and he will take notes. All right. The Minister, Mr. Paswan, is coming now. Do you want to say anything or should I ask the Minister to say a few words and close the discussion?

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: No.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, I would like to speak. Yesterday, the honourable Leader of the Opposition, Shri Shiv Shanker, was very correct in saying that the Members have got their right and they have got their liberty to express their opinion on the judgment of the Supreme Court, but they should not cast any aspersions on any judge. That was very clearly spelt out by the Leader of the Opposition. Today, Madam, some news items have appeared criticising the speech of the honourable Prime Minister and there are some editorials in some papers written with ulterior motives. But one thing I want to bring to the notice of the House and put on record and that is that in the Bench that has been constituted by the Supreme Court there was no Judge from the Southern States and there was nobody from the State where the cause of the backward clases has been protected. There was no Judge from the Southern States. Two Judges are from Bombay and all the five Judges are not the seniormost Judges. It is a controversial issue.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN (Tamil Nadu): Not from the backward classes also.

SHRI V. GOPALSAMY: Now, I want to leave it to the opinion of the House. Five Members of the Bench are not the senior Judges of the Supreme Court. Now, Madam, some people try to destroy what has been achieved for the cause of the backward classes. Some people try to tear the entire social fabric taking cudgels against the Government. I would ask the Government not to move an inch backward. You have given the decision very clearly to the country that you uphold the concept of Thanthai Periyar and Lohia for the cause of social justice. Therefore, come what may, you should stick to it. Some people are criticising that the Ministers, Mr. Paswan and Mr. Sharad Yadav, made some statements. But a limited minority, a tryrannical minority, could not dictate to this country. That is my point.

Cutting across party lines, the State of Tamil Nadu, with all its might, will stand behind you. Therefore, we are encouraged to give you support and there is nobody from any quarter to come and utter a single word against the Mandal Commission in the State of Tamil Nadu. We are proud to say that. And we extend our full support and solidarity with this Government. (*Interruptions*) Thank you.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Madam Vice-Chairman, I know it very well that time is not very propitious for any lengthy discussion on the Mandal Commission and its Report and its implementation. But I am a bit encouraged at the ratio between the Members and the Ministers at this point of time, and Cabinet Ministers at that. So far as the implementation of the Mandal Commission Report goes, there is a stay on it; only identification would

[Prof. Sourendra Bhattacharjee]

go on. But what is more important, I would draw the attention of my friend and esteemed colleague, Mr. Gopalsamy, the way the composition of the Supreme Court Bench was analysed perhaps may not take us in the right direction. Challenges and counter-challenges may be made. It should be borne in mind by all concerned if we are to arrive at a proper and correct solution of the problem which is before us in the nature of an impact.

I have to make one submission in this connection. This session need not have been concerned with this problem if in 1955 the then Government, that is, the Government of Pt. Jawaharlal Nehru, had dealt with the recommendations of the first Backward Classes Commission totally. The Kaka Kalelkar Commission Report was...(*Interruptions*). There was no objective criterion for backwardness. More than 2900 castes were identified as backward class. In this multitude the really poor would get lost. That was another argument. The final argument was that economic criterion should be there. That economic criteron was also not followed. Had Pandit Jawaharlal Nehru, with his authority over the country, taken a decision in this matter, perhaps we would not have been faced with this problem during the concluding days of the 21st century. From 1955 to 1980 nothing was done to set up another commission. It required a Janata Party Government to set up a Backward Classes' Commission in 1978 which submitted its report in 1980. (*Time bell rings*). In 1990, the Prime Minister of the country says that he accepts, in the first place, job reservation provision of the Backward Classes Commission. It is felt that something has been done in haste. Where was the haste if it toon 10 years for the country's Government to take a decision in the matter? How many years would have made it a very well thought-out decision. If the Prime Minister had the motive to anticipate Mr. Devi Lal's rally, I consider it to be extraneous. The Prime Minister, being a political being, can well have some political motives. But the question is whether, if we consider the history, if the impatience of the backward classes is taken into account and if the countrywide movements during the intervening period for the implementation of the Mandal Commission Report are taken into account, we can say that this is a very hasty decision. It will just be improper. It is unfortunate that our national genius was unable to evolve anything other than reservation for offering relief and succour to the backward classes. Since we were unable to bring about a classless society, caste struggle came to the fore. In this situation and in the circumstances, the decision that has been announced by the National Front Government was perhaps very much warranted. Of course, there are various aspects which should be carefully worked out. No doubt, more needy should get priority. Other poorer classes may be given some relief. But, in any case, after having announced it on the floor of the Parliament and taking into account the entire situation, there cannot be any question of going back on it at this stage. It can very well be said that the repercussion thereof woud also be very serious. Let us beware of that. The entire day was devoted to the malady of communal riots. Let us not, by our intemperate action, precipitate some other situation. Let us act with deliberation, with patience and with sanity. Thank you. Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr Gautam.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, is the Congress Party against the Mandal Commission? They have walked out.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Abrar Ahmad is here.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, इस पूरी सत्र में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा काफी विचार व्यक्त किये गये और गंभीरता से विचार हुआ । लेकिन इतने पूरे सदन में चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों न रहा हो खास तौर से विपक्ष में बैठने वाले हमारे साथी

उस मंडल कमीशन का विरोध करने का साहस न बाहर और न अन्दर इस सदन में किसी ने नहीं किया । बहुत अपने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए । बहुत से विद्वान साथियों ने कहा कि यह बहुत जल्दी में लागू कर दिया गया है । अन्य सदस्यों ने कहा कि सभी सदस्यों से इसे पहले राय नहीं मिलायी गई और खास तौर से इस वर्तमान जो मंडल कमीशन के लागू करने के बाद से जो देश में एक वातावरण बन गया अशांति का वातावरण पैदा हुआ इसको ले करके हमारे माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाए कि सरकार की गलती है, प्रधान मंत्री की अदूरदर्शिता है कि उन्होंने देश की स्थिति का समझा नहीं और इसको जल्दी में लागू कर दिया । बड़े लंबे-लंबे मैंने भाषण सुने । निश्चित रूप से उनके बुद्धि कौशल के प्रदर्शन की सराहना तो की जानी चाहिए, लेकिन मूल रूप से किसी ने इसका विरोध करने का साहस नहीं किया । कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि संविधान में वहु-संख्यक समाज शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था उसके बारे में उनकी धारणा थी और संविधान में व्यवस्था होते हुए भी जो हमारे गवर्नमेंट के अगुआ थे, नेता थे चाहे पं० जवाहर लाल नेहरु जी रहे हो और उसके बाद जो भी उस लाईन में आए इंदिरा गांधी जी रही हो और चाहे हमारे राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री रहे हो, इन्होंने इसीलिए उसको लागू करने का नहीं सोचा कि देश में एक ऐसी उथल-पुथल हो जाएगी ऐसा उनको पूर्व आभास था और वर्तमान समय में जो लागू कर दिया गया उनके अनुसार यह एक गलत निर्णय हो गया और राष्ट्र की धड़कन को अच्छी तरह से समझा नहीं। इस मामले में मेरा एक कहना है कि वे लोग जिन्होंने इसको लागू नहीं किया इतने 40-45 वर्षों में सत्ता में रह करके भी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज को उनके हितों को नकारते रहे उसके पीछे मात्र एक ही बात हो सकती है, हो सकता है कि उन्हें राजनीतिक लाभ न मिल पा रहा हो, वोट का लालच रहा हो कि लोगों में, समाज में एक बिखराव पैदा होगा, हमारा वोट बैंक खिसक सकता है, इस प्रकार की भावना रही होगी । इसलिए एक बहुसंख्यक समाज का हित इतने वर्षों से भी हमारे आजाद भारत मे उनका हित नकारा जाता रहा है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को बिना संकोच किए उन्होने इस देश के बहुसंख्यक समाज के हित को, आते ही लागू करने का बायदा किया और उसको लागू करके दिखाया । इसलिए मैं माननीय भाई पासवान जी का भी बहुत सम्मान करना चाहता हूं और उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं । इसके साथ ही, महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जो अभी एक घोषणा आई, एक निर्णय आया कि मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करते समय उनको शिक्षा में लागू नहीं किया जाएगा मेरा कहना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी...

उपसभापति : गौतम जी, मैं आपका एक चीज़ के ऊपर ध्यान खींचने की कोशिश करूंगी कि यहां चर्चा मंडल कमीशन पर नहीं हो रही थी, the Short Duration Discussion is on the rally which came up on the 2nd October. इसलिए अपने को कृपया उसी पर सीमित रखिए । मंडल कमीशन पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, मंत्री जी भी उसका जवाब नहीं देंगे । इसलिए आप दो अक्तूबर तक ही सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : अच्छी बात है । यह जो इस प्रकार से बहु-संख्यक समाज का हित था, उसके विरोध में जो एक रैली हुई और उसमें कुछ घटनाएं भी घटी निश्चित रूप से उन घटनाओं को राष्ट्र के हित में नहीं कहा जा सकता और राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक घटनाएं घटीं ।

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

और चूंकि भारत किसान प्रधान देश है, इसलिए वहां जो बहुत सारे नेता थे उनमें किसानों के नेता माननीय टिकैत जी भी आए थे और उन्होंने 2 अक्तूबर को एक बहुत बड़ी रैली की । वह खास-तौर से इसलिए की कि उसमें किसानों का हित नहीं हो रहा है और जो वर्तमान स्थिति मंडल कमीशन को लेकर हो गयी है....

उपसभापति : मुझे लगता है और काफी बोल चुके हैं । अब मैं उनको बुलवाकर मंत्री जी को बुलाऊंगी ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : और निश्चित रूप से जो घटनाएं घटीं, उन घटनाओं में जो सम्मिलित रहे उन्होंने संपूर्ण देश का हित और वातावरण ध्यान में नहीं रखा और कुछ बातें ऐसी कहीं कि जो देश के विरोध में हैं । मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनके विरुद्ध निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए कि भविष्य में लोग इस बात को ध्यान में रखें और ऐसा करने के लिए साहस न करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपसभापति : अबरार साहब आप दो मिनिट में अपनी बात खत्म करें ताकि मंत्री जी भी दो मिनिट बोलें । अभी 7 बजने में 4 मिनिट हैं।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : महोदया, मैं एक तारीख से इंतजार कर रहा हूं ।

उपसभापति : आप अभी मेंबर हैं, बहुत इंतजार करना पड़ेगा ।

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Madam, I may also be permitted to seek one clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

डा० अबरार अहमद खान : मैडम, मैं 7 अगस्त को जब प्रधान मंत्री जी ने यहां मंडल कमीशन पर वक्तव्य दिया, उस समय हमने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि इसमें इतनी जल्दबाजी न करें । उस दिन खास तौर से उन्हें याद दिलाया था कि यह न तो आज के बिजनेस में है । उस समय दो दिन का बिजनेस हमें मिला था और यह दोनों तारीख के बिजनेस में नहीं है, यह हमने कहा था और इस सत्र में कहीं यह शेड्यूल्ड नहीं है । लेकिन जब महंगाई पर चर्चा चल रही थी, उसी के बीच में यह वक्तव्य दिया कि यह बहुत ही आवश्यक है । मैं उसके बारे में यहां दोबारा नहीं दोहराना चाहता कि उसके पीछे उनके क्या उद्देश्य रहे होंगे, लेकिन जो बात माननीय सदस्य ने कही है, उसके साथ ही जो देवीलाल जी की रैली होने वाली थी, उससे ध्यान हटाने के लिए और जो महंगाई पर चर्चा चल रही थी, उस दिन का प्रेस कवरेज....

SHRI V. GOPALSAMY: Has your party got any stand on this?

डा० अबरार अहमद खान : उसके विपरीत ले जाने के लिए उन्होंने यह कार्य किया और इसके बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम उन्हें उठाने पड़े ।

महोदया, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि उस बारे में अलग अलग तरह की गलतफहमियां फैलायी जा रही हैं। जो पहले से एस०सी०एस०टी० का आरक्षण चला आ रहा है, उसका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और इसके अलावा जो बैकवर्ड्स के लिए आरक्षण किया गया है, उसके भी हम कभी खिलाफ नहीं थे । पक्षधर हम रहे हैं । लेकिन इस प्रकार से आरक्षण दिया जाय जिससे कि गरीब को उसका हक मिले । उस आरक्षण का वास्तविक लाभ उन लोगों को मिले जिनके लिए आरक्षण किया जा रहा है क्योंकि उस दिन भी जब मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन पूछा था तो मैंने प्रधान मंत्री जी से एक बात कही थी कि जो आलरेडी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अब इसके

अंदर आप जिन लोगों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे डामिनेटिंग काज हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर विचार किया जाना है । कुछ ऐसे सम्पन्न लोग हैं, वही उसका लाभ ले जाते हैं । महोदया, मैं सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखता हूं । एस०सी०एस०टी० के रिजर्वेशन में वहां एक मीणा कम्युनिटी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं । मैं किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिवारों को जानता हूं जोकि घर से जागीरदार हैं और जिनके सैकड़ों बीघा जमीन है । एक-एक घर में पांच-पांच आई०ए०एस० हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है । लेकिन वास्तव में जो खेतिहर मजदूर हैं, जो गांव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है । उस बात को लेकर मैंने उस दिन भी याद दिलाया था और हमारी पार्टी के नेता श्री राजीव जी ने भी लोकसभा में स्पष्ट कहा था कि हम आरक्षण चाहते हैं, लेकिन आरक्षण के अंदर आर्थिक आधार अवश्य हो जिससे कि जो लोग एक स्तर से नीचे हैं, वास्तव में पिछड़े और गरीब हैं, उनको उसका लाभ मिले । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में यह काम किया गया है । खैर, काम किया गया, वहां तक भी कोई बात नहीं स्टेटमेंट दिया गया, वहां तक भी कोई बात नहीं, आरक्षण लागू किया गया, वहां तक भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की बात इस सरकार के मंत्रियों ने शुरू की---राम विलास पासवान जी का भी वक्तव्य आया, शरद यादव जी का भी वक्तव्य आया और इसी सदन में आपके सामने खड़े होकर हमने कहा था कि ये इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जिससे देश के अंदर सिविल वार की स्थिति पैदा हो सकती है । माननीय प्रधान मंत्री जी से यहां पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जो मेरे मंत्रियों ने वक्तव्य दिए हैं उसका उद्देश्य यह नहीं है । हमने उस दिन उनकी बात को मान लिया लेकिन उसके बाद बराबर जिस प्रकार की गतिविधियां चलती रहीं, जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाता रहा---उसने इस देश के अंदर हालात बड़े चिंताजनक बना दिए । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं 7 P.M. जयपुर का । मैं राजस्थान का रहने वाला हूं । जयपुर के अंदर 26 सितंबर को एक आरक्षण-समर्थक रैली के आयोजन की बात हुई जिसमें यहां से शरद यादव जी जाने वाले थे । आरक्षण विरोधियों ने वहां जयपुर बंद और जनता कर्फ्यू की बात की । सारे जयपुर में इस तरह की बात हो गई, जैसे 26 सितंबर को बहुत बड़ी हिंसा होने वाली है । आग्रह किया गया सरकार से, आग्रह किया गया शरद यादव जी से, कि ठीक है, आपने आरक्षण कर दिया सब कुछ कर दिया लेकिन भयावह स्थिति तो मत बनाइए आप वहां मत जाइए । उन्होंने एक नहीं मानी और उस दिन वे जयपुर गए । उस दिन वहां बहुत भारी तादाद में हिंसा घटी, बहुत बड़ी तादाद में वहां आगजनी और लूट-पाट हुई । अगर इस तरह से जिम्मेदार लोग, इस सरकार के मंत्री-गण काम करेंगे, इस प्रकार की बात करेंगे तो देश के अंदर हम कैसे शांति की बात सोच सकते हैं या शांति की बात कर सकते हैं ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन...

उपसभापति : देखिए, दो अक्तूबर की बात थी चर्चा की...

डा० अबरार अहमद खान : नहीं, दो अक्तूबर का नहीं है, आरक्षण का है ।

उपसभापति : नहीं, यहां आरक्षण पर बात नहीं हो रही । चूंकि मामला वह दूसरी तारीख के बाद का है, यह पहली तारीख का नहीं है ।

डा० अबरार अहमद खान : नहीं...

उपसभापति : एक मिनट, जरा आप बैठें । यह जो दो अक्तूबर और उसके बाद का है, उस सिलसिले में बोलिए । जो बच्चे जले हैं, उस पर ही अभी ले आइए तो बेटर है ।...

डा० अबरार अहमद खान : महोदया, ऐसा है कि एक अक्तूबर को यहां शार्ट-ड्यूरेशन डिसकशन था ।

उपसभापति : ठीक है, उसी पर आइए ।

डा० अबरार अहमद खान : उसी पर बोल रहा हूं, मैडम । मैडम, मैं आपके माध्यम से यह जो आरक्षण से आंदोलन हुए, उससे जो स्थिति बनी, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि एक बार यह आंदोलन हो चुके थे और काफी हद तक शांत भी हो गए थे, लेकिन दुबारा यह आंदोलन कब भड़का, यह गौर करने वाली बात है । गोलमेथी चौक पर आरक्षण विरोधी उस दिन अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहीं पर आरक्षण-समर्थकों के पहुंच जाने से दोनों के अंदर मुठभेड़ हुई और पुलिस ने वहां छात्राओं को बड़ी निर्ममता से पीटा । इस चीज को बड़े जोश के साथ पब्लिसिटी हुई और उसको सुनकर के दूसरे दिन दुबारा फिर आंदोलन भड़क गया। दुबारा फिर उत्तेजना फैल गई। ऐसी चीजों पर तो ब्रेक करने की जरूरत थी । हमारे दूरदर्शन मंत्री जो यहां विराजमान हैं, मैं कहना चाहूंगा कि खास तौर से जो इसमें मीडिया का रोल रहा, उसकी हम कठोर आलोचना करते हैं क्योंकि जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उसको जहां तक हो सके सीमित करके दिखाया जाना चाहिए था। अब जैसे ही एक जगह कोई छोटी सी घटना घटी है तो उसको दूरदर्शन पर जिस तरह से दिखाया गया है, उससे भी एक इस तरह की लहर फैली छात्रों में कि अगर वहां चार बसें जलाई गई हैं तो हम चालीस बसें जला सकते हैं, अगर किसी जगह एक टंकी पर कोई चढ़ गया तो हमें भी चढ़ जाना चाहिए या कोई एक जल गया तो हमें भी जल जाना चाहिए ।

महोदया, अगर सेंसर किसी चीज को किया जाना चाहिए था तो इस प्रकार की न्यूज को, इस प्रकार के समाचारों को सेंसर किया जाना चाहिए था, जिससे देश के अंदर यह आंदोलन न भड़कते, लेकिन दूरदर्शन का जो इस संबंध में रोल रहा और जिस प्रकार से दूरदर्शन के अंदर ऐसे समाचारों को हाईलाइट किया गया, उससे यह आंदोलन और भड़के हैं और इनके अंदर उफान आई है ।...

उपसभापति : अबरार भाई, जरा खतम करो । जब भाषण शुरू होता है तो कोई अंत ही नहीं होता उसका । उस पर भी तो कुछ आरक्षण लगाओ ।

डा० अबरार अहमद खान : मैडम, दो-तीन पाइंट और रहते हैं । जब हम इस सदन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम संविधान की शपथ लेते है, हम उसकी सौगंध खाते हैं उसका पालन करने के लिए । महोदया, मैं बहुत बड़ा संविधान का ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप भी जानते हैं, हमारे साथी भी जानते हैं, परन्तु दबी जुबान से और दूसरे भी बोलते है दबी जुबान में, लेकिन मैं दबी जुबान में नहीं बोलना चाहता, बैकवर्ड के आरक्षण के बारे में संविधान के अंदर 'बैकवर्ड क्लास' लिखा हुआ है तो फिर यह 'बैकवर्ड कास्ट' कैसे कर दिया ? क्या हमने यहां संविधान संशोधन किया ? क्या हमने यहां उस "क्लास" को "कास्ट" किया ? अब यह मामला सुप्रीम-कोर्ट में चला गया और सुप्रीम-कोर्ट ने उसमें कुछ न कुछ तथ्य देखे हैं, जिससे उसने अगला कदम उठाने के लिए स्टे दिया । मैं एक सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको "कास्ट" न मानते हुए "क्लास" माना है और क्या आरक्षण "क्लास" के आधार पर करने के कोई निर्देश उसने सरकार को दिए हैं ? तो सरकार ने जो इतनी बड़ी गलती की है, जो संविधान का उल्लंघन किया है, जो "क्लास" की जगह "कास्ट" का आरक्षण किया और जिसकी वजह से इतनी बड़ी आगजनी, तोड़फोड़, आत्म-हत्याएं जैसी घटनाएं घटीं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि संविधान के अंदर "क्लास" है और क्लास को ही लेना चाहिए तो क्या यह सरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगी ? क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देगी ? क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इन पर हत्या और मर्डर के केस चलेंगे ? अगर यह उस "क्लास" को "कास्ट" नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि शायद इस प्रकार की

आगजनी या इस प्रकार के आन्दोलन भड़कते । लेकिन अब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मैंने मंत्री महोदय से यह सीधा प्रश्न किया है कि अगर जरा भी नैतिकता है तो यह आश्वासन दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुसार "कास्ट" की जगह "क्लास" होने का फैसला दिया तो जो गलती इन्होंने की है और जिस गलती से इस देश में आग लगी है, जो सैकड़ों जानें गई हैं, जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से इस्तीफा देंगे ?

उपसभापति : चलिए, इसी बात पर । बैठ जाइए । बस, बहुत भाषण हो गया । Please take your seat. It is enough. You have made your point. It is O. K. It is 7'o clock.

डा० अ रार अहमद खान : बस, एक-आध बात और । आज तो मैं बहुत कम प्वाइंट बोल रहा हूं ।

उपसभापति : बहुत कम बोलना चाहिए । शार्ट डयूरेशन डिस्कशन है, इसलिए बैठ जाइए । मुझे तो आपको टाइम ही नहीं देना था, मैंने दे दिया ।

डा० अ रार अहमद खान : लास्ट प्वाइंट ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Take your seat. Your last point may take half-an-hour. Some time you should abide by the Chair. You have made your point. Now, let the Minister answer. There should be time for the Minister also to answer.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Madam, I want to seek a clarification. The implementation of the Mandal Commission's recommendations have been stayed by the Supreme Court, but it is not a final order. Arguments and counter-arguments are to be made by the Supreme Court. Final orders are to come. In view of this, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to form a group of eminent lawyers from all over the country to represent the cause i.e. the implementation of the Mandal Commission's recommendations. So far the Government of India is represented only by the Attorney General. So, I would like to know whether a group of eminent lawyers is to be formed as this case is to be fought by the Government of India as well as by several State Government. Not only that. In this House so many Members spoke on this subject, but nobody has objected to the implementation of the Mandal Commission's recommendations. Everybody has supported it. In view of the unanimous support from this House, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to bring in a Constitutional amendment to put this into the Ninth Schedule so that nobody can question this and nobody can go to the court. Our hon. Chief Minister, Dr. Kalaignar, has appealed to the Central Government to bring such a Constitutional amendment in Parliament during the next session. So, I would like to know whether the Government is considering this view or not.

उपसभापति : मंत्री जी, भाषण तो बड़े लंबे हुए हैं, कई दिनों तक चले हैं परन्तु मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उत्तर जरा छोटा दें ।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : ठीक है । जितने घंटे यह भाषण चला है, उतने ही मिनट में मैं कह दूंगा ।

उपसभापति महोदया, मैं सर्वप्रथम सभी पक्ष के साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के विषय पर उन्होंने अपने विचार रखे । मैंने शुरू से देखा है, तीन बार सदन में इस पर बहस हुई है किसी न किसी रूप में, लेकिन तीनों बार किसी दल के सदस्य ने यह नहीं कहा कि मंडल कमीशन में जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वे उसके विरोधी हैं और सभी ने यह बात रिकार्ड पर लाने का काम किया है । बल्कि पहली बार तो विरोधी दल के नेता जब बोल रहे थे तो उन्होंने न सिर्फ

[श्री राम विलास पासवान]

सपोर्ट किया था बल्कि और आगे जाकर भी कहा था कि इसमें जो और मामले छूटे हुए हैं उनको भी लागू करना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर तमाम पक्ष के साथियों ने, सदस्यों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया है। अब चूंकि विपक्ष में हैं तो विपक्ष के साथियों को कुछ न कुछ अलग बात बोलनी ही हैं। अभी अबरार साहब बोलते रहे थे कि साहब हम तो समर्थन कर हैं लेकिन उसमें यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो हमारे जेनरेशन के नये साथी हैं, हम लोगों को देखिए, कभी-कभी माला पहने का शौक होना चाहिए तो गाली सुनने का भी शौक होना चाहिए, किन्तु सही बात को कहना चाहिए। हम तो इस बात को कहते हैं, हम जब विपक्ष में थे तो जो बात विपक्ष में कहते थे और अब हम सत्ता में आये हैं तो भी ईमानदारी पूर्वक उसको कहने का काम करते हैं और मंडल कमीशन को हमने अपनी पाकेट से भी नहीं निकाला है। यह मंडल कमीशन वही है जिसको सब पार्टियों के लोगों ने लागू करने की बात कही थी और इसलिए यदि कहीं गलतफहमी होगी तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रति गलतफहमी दूर हो सकती है राम विलास पासवान के प्रति। लेकिन जो लोग दोनों तरह की बातें करते हैं वह आगे चलकर ज्यादा गलतफहमी के शिकार होंगे क्योंकि इतिहास के मार्ग में बढ़ता हुआ यह कदम है, सामाजिक न्याय के रूप में बढ़ता हुआ यह कदम है। अभी डा. अबरार अहमद खान ने ठीक ही कहा है लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। आपने यह कहा कि बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड कास्ट/बैकवर्ड क्लास यहां बैकवर्ड कास्ट की परिभाषा है जो परिभाषा आपने तमिलनाड में बनायी, जो परिभाषा बनायी आंध्र प्रदेश में, जो परिभाषा बनायी कर्नाटक में, जो परिभाषा बनायी केरल में, जो परिभाषा बनायी बिहार में, जो परिभाषा बनायी उत्तर प्रदेश में, जो परिभाषा बनायी महाराष्ट्र में वही परिभाषा है बैकवर्ड क्लास की और परिभाषा हमने नहीं बनायी और जहां जो परिभाषा बनी हुई है उस परिभाषा को हम तोड़-मरोड़ भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तक हमने इतना ही कहा कि जिन जातियों को उस स्टेट में पिछड़ी जाति माना गया है और वह जातियां अगर मंडल कमीशन की लिस्ट में हैं तो उसी को हम सुविधा देंगे जिनको राज्य सरकार में मिल रही हैं उनको केन्द्र, सरकार में देंगे। इसलिए उसमें हमने कोई बात नयी नहीं कही है और मैं जानता हूं कि दोनों पक्ष के जो साथी हैं तमाम साथियों के दिल में एक बात है। लेकिन आपने एक बात कहा कि साहब आपने जल्दबाजी में किया, राजनीतिक लाभ के लिए किया। अच्छा अगर इससे राजनीतिक लाभ मिलता तो हो 10 साल से आपने क्यों नहीं राजनीतिक लाभ लिया। मैंने कहा कि यह तो कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसाइड भी किया है। आज तक जितने भी मुकदमे हुये हैं 50 परसेंट तक उसका रहे या नहीं रहे, बैकवर्ड क्लास का मिले कि नहीं मिले तो इसलिए मैंने कहा कि तमिलनाडु में जाकर देखिए कि 69 प्रतिशत आरक्षण है, 68 प्रतिशत आरक्षण कर्नाटक में है, 50 प्रतिशत आरक्षण आंध्र प्रदेश में है। सब जगहों पर है तो देखिए, क्लास क्या होता है। काम्बीनेशन आफ कास्ट है। शेड्यूल्ड कास्ट कोई कास्ट होता है। शेड्यूल्ड कास्ट में तरह-तरह के क्लासेज हैं लेकिन नाम है शेड्यूल्ड कास्ट।

डा. अबरार अहमद खान : क्लास ही शब्द क्यों नहीं प्रयोग कर लिया गया है जब संविधान में क्लास है तो। फिर इतना झगड़ा ही पैदा नहीं होता। जब संविधान में क्लास है हम भी क्लास का प्रयोग कर लेते तो इसलिए झगड़ा खत्म हो जाता।

श्री राम विलास पासवान : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में इकोनोमिक क्राइटेरिया की बात कही गई इकोनोमिक क्राइटेरिया के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले शेड्यूल्ड कास्ट के लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती थी तो पैसा बहुत था, पढ़ने वाले लड़के कम थे तो इसमें कोई इंकम का क्राइटेरिया नहीं था। अब क्या हो गया है कि लड़के पढ़ने वाले अधिक हो गये, पैसा कम रहा तो उसमें इकोनोमिक क्राइटेरिया

कर दिया गया है कि पंद्रह सौ रुपए से जिसकी आमदनी ज्यादा होगी उसको छात्र-वृत्ति नहीं मिलेगी, मतलब, चपरासी से अगर कोई ऊपर हो जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट का या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी अफसर हो जाता है तो उसके लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है । क्यों ? पढ़ने वाले लड़के ज्यादा हो गये हैं और पैसा कम रह गया है । उसी तरह से साढ़े बाईस परसेंट कोटा जिस दिन शेडयूल्ड कास्ट व शैड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरा हो जाएगा और जिस दिन 27 परसेंट का कोटा बैकवर्ड क्लास का पूरा हो जायेगा तो उस दिन निश्चित रूप से इकानामिक क्राइटेरिया लग जाएगा जिसमें जो लोग हैं उनको पहले आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । लेकिन अभी तक साढ़े बाई परसेंट में से केवल 8 कुर्सी भर पायी हैं और 27 परसेंट में केवल 4 कुर्सी भर पायी हैं तो वह तर्क देना मैं समझता हूं न्यायोचित नहीं है । अभी हमारे यहां कुछ साथी नहीं है । लेकिन बहुत से साथियों ने इस पर मामला उठाया, मैरिट का मामला उठाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं । देश जो चलता है वह दिल से चलता है । बड़े-बड़े जितने बादशाह हुये हैं और मुगल पीरियड के जितने बादशाह हुये हैं---अकबर कितने पढ़े-लिखे थे आपको मालूम है । बाबर कितने पढ़े-लिखे थे आपको मालूम है ? आदमी के पास में दिल होना चाहिए, दिल सबसे बड़ी चीज है और दिल जब काम करता है तो दिमाग भी उसी के डायरेक्शन में चलता है और मैरिट की यदि बात रहती तो तमिलनाडु में मैंने कहा कि 69 परसेंट आरक्षण है, 68 परसेंट आरक्षण कर्नाटक में है । जहां 68 परसेंट आरक्षण है, 69 परसेंट आरक्षण है तो क्या वहां की सरकारें नौर्थ की सरकारों से कम इफीसिएंट हैं ? किसी मायने में कम नहीं हैं । इसलिए यह जो प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ समाज का वह तबका जो मुख्य धारा से अलग है उसको सिर्फ सत्ता में भागीदारी देने का एक छोटा सा कदम है । यह उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हम एक परिवार को चलाते हैं । हम तो इस बात को मानकर चलते हैं कि जिनका सत्ता पर आधिपत्य है उनको बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और जिस तरह बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सैक्रिफाईस करने को हमेशा तैयार रहता है, पिता अपने पुत्र के लिए त्याग करने को तैयार रहता है, घर में यदि कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करने को तैयार रहता है, उसी तरह से समाज का जो तबका हजारों सालों से अलग-थलग पड़ा हुआ है उसको अवसर देने का सवाल है। हम यह आरक्षण सेना में नहीं दे रहे हैं, मैडीकल में नहीं दे रहे हैं, साईंस में, स्पेस में नहीं दे रहे हैं । यह बात नहीं है कि हम आंदोलन के चलते पीछे हटे हैं ।

डा० अबरार अहमद खान : अगर इन क्षेत्रों में आप नहीं दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : थोड़ा सा देने पर तो आंदोलन चल रहा है । अगर आपकी बात मानकर सब जगह कर देते तो आप मामले को कहां से कहां ले जाते । इस मामले में सरकार ने बहुत ही सोच-समझकर सोशलिस्टस यानी सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ते हुए यह कदम उठाया है और चूंकि यह हमारे मंत्रालय से संबंधित है इसलिए गाली भी हमको ही ज्यादा सुननी पड़ती है । आप बतलाइए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के वैलफेयर से संबंधित वह कौन सा काम था जो हमारे मंत्रालय ने नहीं किया ? वह एक भी काम आप गिना दीजिए जो कि हमारे मैनीफैस्टो में है और हमने नहीं किया है । महिलाओं के कल्याण के लिए वह कौन सा काम है जो हमने नहीं किया है ? चूंकि बैकवर्ड क्लासेज का मामला भी हमारी मिनिस्ट्री से संबंधित है इसीलिए हमने इस काम को किया है ।

पिछले सैशन में जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे तो उधर से पूछा गया कि प्रधान मंत्री जी यदि आपकी नीयत साथ है तो बताइए कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को आप कब लागू करने जा रहे हैं, अगले सैशन से पहले लागू करेंगे या नहीं ?

[श्री राम विलास पासवान]

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि विचार करेंगे। अगला सैशन कब था 7 तारीख को था। अगर हम यह लागू नहीं करते तो आप कहते कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन क्यों न लाया जाए क्योंकि अपने संसद की गरिमा को भंग करने का काम किया है। जब हमने सिफारिशें लागू कर दीं तो आप कहते हैं कि क्यों कर दीं?

हमारे ऊपर चार्ज क्या है? हमारे ऊपर चार्ज यह है कि हमने यह सब जल्दी में किया है। हम भी अगले 10 साल तक बैठे रहते तो हमारे खिलाफ कोई चार्ज नहीं रहता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज आप यदि देखें तो जो माइनोरिटी के लोग हैं, चाहे सिख माइनोरिटी के लोग हों, चाहे मुस्लिम माइनोरिटी के लोग हों, चाहे क्रिश्चियन माइनोरिटी के लोग हों, उनमें कहीं उसको लेकर विवाद नहीं है। साउथ के जितने स्टेट्स हैं वहां विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में विवाद नहीं हैं, गुजरात में विवाद नहीं है, बिहार में विवाद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं हैं, मध्य प्रदेश में विवाद नहीं है, पश्चिम बंगाल में विवाद नहीं है, नार्थ-ईस्ट में विवाद नहीं है। जहां-जहां सामाजिक क्रांति हो चुकी है, जहां-जहां सोशल अवेकनिंग हो चुकी है, उन राज्यों में विवाद नहीं हैं लेकिन जहां-जहां पिछड़ों की परिभाषा लोगों को मालूम नहीं है वहां जरूर लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं।

महोदया, इसमें हमें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि छात्रों को आगे लाने का काम किया गया है। इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं और विद्यार्थी लोग हमारे भाई हैं। हम से ज्यादा उनका शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। दो अक्टूबर की घटना का जिक्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि छात्र का स्वभाव बंदर का स्वभाव होता है। हम लोग भी जे०पी० मूवमेंट में 1974 में आए थे। विद्यार्थी जाकर बस पर चढ़ सकता है, बस की छत पर बैठ सकता है, गुस्से में बस के शीशे तोड़ सकता है लेकिन विद्यार्थी किसी पुलिस इंस्पैक्टर को गोली नहीं मार सकता, दुकानें नहीं लूट सकता, भाले और बंदूक लेकर आक्रमण नहीं कर सकता। वे लोग कौन थे? कहां से आए थे? जब तक विद्यार्थियों के हाथ में यह आंदोलन रहा, प्रशासन ने कहीं एक डंडा चलाने का भी काम नहीं किया। वह केवल मात्र मूक दर्शक बना रहा लेकिन जब मामला काबू से बाहर हो गया, जब पिस्तौल छीनकर इंस्पैक्टर को गोली मारी गई तो उस परिस्थिति के बारे में हमारे साथियों ने कहा कि निंदा का प्रस्ताव पास करो। यह निंदा का प्रस्ताव आप किसके खिलाफ पास कर रहे हैं? यह लॉलैसनेस अगर चलेगी तो किसका जीवन सुरक्षित रहेगा?

प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये हमारे लड़के हैं, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, बताइए आप क्या-क्या योजना बनाना चाहते हैं? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें सिर्फ सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। कैसे उनको अपने पांवों पर खड़ा किया जा सकता है, कैसे यूथ काउंसिल का निर्माण कर सकते हैं, कैसे उनको रोजगार दिला सकते हैं, हमने कहा है कि जितने भी लाइसेंस हैं, परमिट हैं चाहे वह गैस के हों, चाहे पेट्रोल के हों ये सारे अवसर हम मैरिटोरियस स्टुडेंट्स को देंगे। गरीब जो विद्यार्थी हैं उनको देंगे। जो नौजवान हैं उनको देंगे। सरकारी नौकरियों में जो स्थान दे रहे हैं वह केवल 27 परसेंट देने का हमने प्रयास किया है यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं—लोक सभा और राज्य सभा। यहां बैकवर्ड क्लास और शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मन में यह बात नहीं जमनी चाहिए कि हमारा इस देश पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जिस दिन समाज के गरीब तबके के मन में यह बात आ जाए कि उनके लिए छोटा सा कदम उठाने पर भी उनके खिलाफ आंदोलन चलना शुरू हो जाता है तो उसके मन में निराशा की भावना पैदा होती है और जब दिल टूटता है तो उसके भयंकर परिणाम होते हैं। पंजाब में यही हुआ। वहां दिल टूटे हैं। हम एक आइडियालौजी से बंधे हुए

हैं। हमने राम मनोहर लोहिया का सिद्धान्त अपनाया । वे पिछड़ी जाति के नहीं थे । मधु लिमये पिछड़ी जाति के नहीं हैं । महात्मा फूले, बलेश्वर दयाल पिछड़ी जाति के नहीं थे । एस०एम० जोशी पिछड़ी जाति के नहीं थे । मधु दंडवते पिछड़ी जाति के नहीं हैं । राजनारायण पिछड़ी जाति के नहीं थे । जयप्रकाश नारायण पिछड़ी जाति के नहीं थे । वे संपूर्ण क्रान्ति के जनक थे । हमारे यहां जब कोई माइनॉरिटी के खिलाफ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, उतना ही जितना कोई शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ बोलने पर आता है। हमारे पास रिसोर्सेज हों तो हम सबसे पहले गरीबों को गरीबी के रेखा से ऊपर उठाएंगे । इसलिए हमारे मन में कोई दुराग्रह नहीं है । हां एक छोटी सी चीज दी गई है पिछड़ी जाति के लोगों को । उसके खिलाफ लोगों के मन में जो है उसके लिए आन्दोलन सही नहीं है । आंदोलन चले तो शान्तिपूर्ण तरीके से चलाया जाना चाहिए । उसमें हिंसा का सहारा लिया जाए तो यह बुरी चीज है । हिंसा जब चलती है तो विद्यार्थी आगे नहीं आते हैं । जो भी लड़कियां आई वे डर के मारे चली गई और जो लड़के रह गए उनके साथ क्या बर्ताव किया गया यह आपने देखा । हमको खुशी है कि सब पक्ष के साथियों ने हिंसा की घटनाओं की निन्दा की है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार किसी भी वर्ग के प्रति अन्याय नहीं करना चाहती है । सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह सब के ऊपर लागू होगा, उनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार एकदम खुले दिमाग से बातचीत करने के लिए कटिबद्ध है और न्याय के प्रति कटिबद्ध है । जहां हमने पूर्ण रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही है, नेशनल फ्रंट सरकार उसके लिए डेडिकेटेड है । हमने शुरु में ही कहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए उसका घोषणापत्र बाइबिल है, गीता है, कुरान है । उसके लिए हम अग्रसर होंगे । वहीं हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए हम खुले दिमाग से बातचीत करने के लिए तैयार है । प्रधान मंत्री जी ने छात्रों को आमंत्रित किया है, वाइस चांसलर्स को आमंत्रित किया है, शिक्षकों को आमंत्रित किया है कि आइए एक प्लेटफार्म पर बैठें और विचार करें कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको कैसे ऊपर उठाएं ।

डा० अबरार अहमद साहब दिन में रो रहे थे जिस समय माइनरिटी का मामला आया था कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हमको क्यों नहीं बोलने दिया जाता । मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा था । आप कहेंगे कि राम विलास पासवान मंत्री बन गए हैं तो उसने बैकवर्ड क्लासेज की बात करनी शुरू कर दी है। हम बैकवर्ड कास्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम जातिवाद फैला रहे हैं । हम तो दोनों तरफ से मारे गये । कुछ नहीं बोलिए तो कहा जाएगा कि आप मुसलमान के दुश्मन हो गए, बोलिए तो आप कम्यूनल हो गये । यह भावना नहीं रहनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि जिस मामले को राम विलास पासवान लेकर आगे बढ़ रहा है उसे सबका समर्थन मिलना चाहिए । हमें आज इस बात का फक्र है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में है, विश्वनाथ प्रताप सिंह कोई शेड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं, कोई पिछड़ी जाति के नहीं हैं । विश्वा प्रताप सिंह ऊंची जाति के हैं । आज भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को गालियां सुननी पड़े, उनका पुतला जलाया जाता हो लेकिन एक समय आयेगा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का फोटो प्रत्येक गरीब के घर में लगेगा, प्रत्येक गरीब के दिल में लगेगा और वह दिन दूर नहीं । इसलिए जैसा आपने कहा यह सब कुछ राजनीतिक लाभ के लिए है, ऐसा नहीं है । हम डेडीकेटेड हैं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, हम डेडीकेटेड हैं पिछड़ी जाति के लिए, माइनोरिटी के लिए, गरीब लोगों के लिए । वहीं से हमारी पैदाइश है । हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है हम उसके प्रति सिंसीयर हैं। हम

[श्री राम विलास पासवान]

सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी आस्था रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए सीरियस है।

तमाम पक्ष के साथियों ने मंडल कमीशन के सम्बंध में अपनी एक आम सहमति देने का काम किया है। उसमें जो घटना घटी है उसके ऊपर हम सबने न सिर्फ क्षोभ किया है बल्कि निन्दा करने का काम भी किया है। मैं समझता हूं जनतंत्र में यह बहुत बड़ी सफलता है। इसमें पक्ष-विपक्ष होता है यह बुनियादी सवाल है कि रास्ते कैसे हों। स्वाभाविक है कि उसमें अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। नहीं भी होते हैं तो जो विरोधी पक्ष में लोग हैं उनका कहने का काम होता है, उनका अधिकार होता है और उस अधिकार को हम छीन नहीं सकते हैं। इन शब्दों के साथ मे तमाम पक्ष के साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मुबारकबाद देता हूं। महोदया आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं मुबारकबाद देता हूं जिसने अन्त में सरकार को अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

डा० अबरार अहमद खान : महोदया मुस्लिम हरिजन ...

उपसभापति : इस मोड़ पर ही इसको खत्म कर दो। बार-बार वाद-विवाद की बात नहीं है। **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : मुस्लिम हरिजनों के बारे में हाउस में आपने कहा था ...

उपसभापति : उस पर वह ध्यान देंगे। **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान: क्या मुस्लिम हरिजनों के बारे में आपने पता किया था ? ...**(व्यवधान)**

उपसभापति : आपने कहा वह देखकर पता लगा देंगे। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : हमने हमेशा कहा है कि सरकार की तरफ से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि सारे पक्षों के साथियों सारे दलों के साथियों को इसमें विचार करने की बात है। **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : किस बैकवर्ड सूची में हैं इसको आइडेंटिफाई किया है या नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : जो कामन लिस्ट बन रही थी गुजरात की तो उस कामन लिस्ट में हमने देखा हैं कि कम से कम 20 जातियां हैं मुस्लिम जातियां हैं जो कामन लिस्ट में आती हैं।

डा० अबरार अहमद खान : हम मुस्लिम हरिजन की बात कर रहे हैं। उनकी कंडीशन वही है लिविंग ऑफ स्टैण्डर्ड वही हैं उनके बारे में आपने कुछ कहा ... **(व्यवधान)**

उपसभापति : इस बारे में कभी कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। आप बोले उन्होंने जवाब दिया। आज लास्ट डे है ...

डा० अबरार अहमद खान : मुस्लिम हरिजनों का... **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप चिट्ठी लिखिये वह जरूर जवाब देंगे।

डा० अबरार अहमद खान : कुछ नहीं हुआ है। यू०पी० में अनगिनत हैं। **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know it. The matter was discussed in that Council meeting. I know the Minister is looking into it. That is why I am saying he is apprised of the situation. He is finding out what the situation is. Everyone like that has come forward and said

इस तरह के जो मुस्लिम हरिजन हैं मगर किसी एक ने भी आकर पूरी सूची नहीं दी कि कौन हैं। अगर आपके पास पूरी सूची है तो भेज दीजिएगा। मैं उस मीटिंग में स्वयं मौजूद थी। यह बात उठाई गई थी इसलिए यह मामला यहीं छोड़ दिया जाए। जो चिट्ठी लिखेंगे उसका वह जरूर जवाब देंगे।

आज हमारे सैशन का आखिरी दिन है । सब लोग सुबह से बोले । हम लोगों ने अच्छा काम किया एक रेज्यूलेशन यहां से पास किया सबकी सहमति से पूरे हाउस की यूनेनिमिटी से कि पीस रहे तो हम उम्मीद करते हैं... (*Interruption by Shri V. Gopalsamy*) I cannot speak Tamil. If you teach me, I hope I will be able to speak in Tamil one day. Shall I speak in English? Today is the last day. Since morning we have been discussing various important issues. This special three-day session was called to pass the Constitution Amendment Bill for Punjab and the Resolution. We did it with peace and harmony in this House. I know there were very serious issues like the communal situation in the country, like young students who were burning themselves on the issue of reservation. I can well understand as a mother of children, also as a teacher, what the sentiments of the children are. I can also understand that it is not only the issue of Mandal Commission; the students also understand that we should give *nyay* to those people who have been denied the right to live with dignity and honour.

I can understand that the students have their feelings. But because there are no jobs, the economic situation is very critical and the prices are rising, the pent-up feelings have come out in the form of this agitation and self-immolation.

Today, we have passed the Resolution saying that there should be peace and harmony in the country. We passed that with unanimity saying that every individual, every political worker, every political leader, should come forward to bring peace and harmony in the country.

Through this House and from this Chair, I appeal to those students who immolate themselves. They are our future. We do not want our future to die like this. I would expect that they will understand the situation and will come forward and give their own suggestions, if they have any. In this House, which is the most respectable House of democracy in our country, the highest forum which we can think of, people have come and spoken for them. We all have our sympathies for them.

I hope the coming inter-session period will witness Diwali which we all will celebrate and I hope that by the time Diwali comes, there would be peace in our country so that we can light the candle of understanding, the light which will create feelings for other people's problems also. This will enlighten our minds.

With these few words, I think all those Members who are here and who are not here also... (*Interruptions*)... When we adjourn the House, I feel that we should adjourn with a good feeling. After I adjourn the House, I do not remember what happened in the whole Session. It never occurs to me. I really thank every Member, those who are here and those who are not here.

SHRI V. GOPALSAMY: Madam, I have to congratulate you on your role in the Harare Commenwealth Parliamentary Conference.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much.

मैं हिन्दी में बोलूं । दीवाली आ रही है । दीवाली आप लोग अच्छी तरह से मनायें, बहुत खुशी के साथ मनायें । मगर खुशी के साथ दीवाली तभी मना सकेंगे जब देश के अन्दर पीस रहेगी, शांति रहेगी हम लोग इस सदन से देश के लोगों को आश्वासन दें, उनको आश्वासन दिलायें और उनसे उम्मीद करें कि वे दिवाली अच्छी तरह से मनायेंगे, खुशी से मनायेंगे दीवाली आएगी तो दिए जलेंगे, किसी का दिल नहीं जलेगा, किसी का घर नहीं जलेगा, किसी का बच्चा नहीं जलेगा । किसी की लाश नहीं जलेगी इन शब्दों के साथ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं ।

Now, the House is adjourned *sine die*.

The House then adjourned sine die at thirty-three minutes past seven of the clock.